कार्यालयः जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर।

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या–426/इन्फ्रा सेल, इलाहाबाद दिनांकित 21.03.2020 का अवलोकन किया उक्त पत्र में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुपालन में कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार एवं रोकथाम हेतु समस्त जनपद न्यायालयों में दिनांक 28.03.2020 तक अवकाश घोषित किया गया है। उक्त के अनुपालन में जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर में स्थापित समस्त न्यायालय व बाह्य स्थित न्यायालय खुर्जा व अनूपशहर तथा ग्रामीण न्यायालय स्याना के कार्यालय दिनांक 28.03.2020 तक बन्द रहेंगे।

जनपद न्यायालय में कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त अवधि में सार्वजनिक यात्रा न करें। अपने आस–पास भीड़ एकत्रित न होने दे न ही भीड़ में जाये सभी न्यायिक अधिकारी व कर्मचारीगण को यह भी निर्देशित किया जाता है कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा (COVID-19) के रोकथाम हेतु जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

<u>प्रतिलिपिक निम्नलिखित को आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रषित–</u>

1 समस्त/न्यायालय एवं कार्यालय
2 वाह्य स्थिति न्यायालय खुर्जा, व अनूपशहर ग्रामीण न्यायालय स्याना
3 जिलाधिकारी, बुलन्दशहर
4 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर
5 मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर
6 अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, बुलन्दशहर
7 अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन, बुलन्दशहर
8 जेल अधीक्षक, बुलन्दशहर
9 जिला सूचना अधिकारी को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेंतु
10 सिस्टम ऑफिसर को जनपद न्यायालय की बेबसाईट पर अपलोड़ करने के लिए
11 केन्द्रीय नाजिर को सूचना पट पर चस्पा हेतु

दिनांकः 21.03.2020

(नीलकंठ सहाय)
जनपद न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

Copy forwarded to.......... ......
....
for information & necessary action

Jind Clerk
Bulandshahr Judgeship